राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स

एल.के.1, ज्योति नगर, जयपुर

फोन एवं फैक्स नं. 0141—2743770 (Email <u>waqf.rajasthan@gmail.coom</u>) क्रमांक प.() / कौमी तरिक्कयाती / संस्थापन / 2019—20 / 2 3 \ दिनांक 3

विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार की केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के माध्यम से संचालित "कौमी वक्फ बोर्ड तरिक्क्याती" योजनान्तर्गत राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर में कार्मिक रखे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उक्त योजनान्तर्गत लीगल सर्पोट ऑफिसर, जोनल ऑफिसर एवं सर्विस एसिसटेन्ट समेकित पारिश्रमिक पर लिये जाने है, जिनकी योग्यता निम्ननुसार है:—

S.	Post Name	Eligibility Qualification	Consolidated
No	1 Ost Ivame	Zing.com, Communication of the	Remuneration
NU			Per Month,
			Per Person
01	Legal Support Officer (Two)	 An Advocate having minimum 5 years Experience in the legal matters. Good Verbal And Written communication skill in English Thorough Knowledge of Waqf Act-1995. Typing Speed: 30-40 words per minute. 	Rs. 40,000.00
02	Zonal Waqf Officer (ONE)	 Officers retired from Central Govt./State Govt/PSU or equivalent having wide administrative experience.	Rs. 27,000.00
03	Survey Assistant (One)	 Officers or Surveyors retired Survey/Revenue or similar department having experience in field work.	

निर्धारित योग्यता धारक इच्छुक व्यक्ति आवेदन राजस्थान वक्फ बोर्ड, एल.के. 1, ज्योति नगर, जयपुर में पंजीकृत डाक अथवा बंद लिफाफे में व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 19.07.2019 को सायं 04 बजे तक प्राप्त आवेदन स्वीकार योग्य होगे निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शर्ते:--

- 01— चयनित अभ्यार्थी का सेवानिवृत संविदा पुनर्नियुक्ति पर पदस्थापन प्रथमतयाः 06 माह के लिये किया जावेगा एवं कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्य अविध में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
- 02— अभ्यार्थी के खिलाफ वर्तमान में किसी प्रकार की जाँच कार्यवाही प्रस्तावित / लिम्बित नहीं होने चाहिए एवं अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं होने चाहिए। इसके लिए चयन होने पर चयनित अभ्यार्थी को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 03- अभ्यार्थी की आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- 04— प्राप्त प्रार्थना—पत्र को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार चयन समिति का होगा, जिसके लिए कोई भी अभ्यार्थी आपत्ति उत्पन्न नहीं कर सकेगा।
- 05— अभ्यार्थी आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद स्पष्ट रूप से अंकित करेगे।
- 06- दर्शाये गये रिक्त पद सेवानिवृत कर्मियों की पात्रतानुसार भरे जा सकेंगे।
- 07— अभ्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्व—प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 08— अभ्यर्थियों को संविदा पर समेकित पारिश्रमिक केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली की दर देय होगा तथा शेष शर्ते कार्मिक (क.2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपन्न दिनांक 08.02.2018 पर आधारित रहेगी।

W

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान वक्फ बोर्ड, जयपुर